

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
44/2025

दायर दिनांक
03.04.2025

निर्णय दिनांक
09.10.2025

अनवान

1. कालु पुत्र जग्गु जाति गमेती (भील) आयु वयस्क निवासी मानवाखेडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. दुर्गाशंकर पुत्र भैरा जाति भील आयु वयस्क निवासी मानवाखेडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
2. कंचन कंवर पत्नि श्यामसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. पारस कंवर पुत्री श्यामसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. मुन्ना कंवर पुत्री श्यामसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. रोशन कंवर पुत्री श्यामसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
6. विजु कंवर पुत्री श्यामसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
7. शोभा कंवर पुत्री श्यामसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. दीपसिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. पृथ्वीसिंह पत्नि भवानी सिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री रतनलाल टांक
एकतरफा

प्रार्थी
अप्रार्थीगण.

--: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

--: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गुमानपुरा पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी खाता संख्या 79 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 379 रकबा 0.04 हैक्ट0, आराजी संख्या 380 रकबा 0.12 हैक्ट0, आराजी संख्या 382 रकबा 0.03 हैक्ट0, आराजी संख्या 554/377 रकबा 0.07 हैक्ट0 आराजी संख्या 555/380 रकबा 0.14 हैक्ट0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.40 हैक्ट0, कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और



सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर, मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 1 से 4, 7, 8, 9 के विरुद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 5, 6 के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के निवेदन पर कार्यवाही ड्रॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत, राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात मौजा गुमानपुरा पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी खाता संख्या 79 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 379 रकबा 0.04 हैक्ट0, आराजी संख्या 380 रकबा 0.12 हैक्ट0, आराजी संख्या 382 रकबा 0.03 हैक्ट0, आराजी संख्या 554/377 रकबा 0.07 हैक्ट0 आराजी संख्या 555/380 रकबा 0.14 हैक्ट0 कुल कित्ता 05 कुल रकबा 0.40 हैक्ट0, कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश कुमार)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़